प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 10.10.2025

थाना बलुआ, जनपद चन्दौली

□थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 पिकअप वाहन से 13 राशि गोवंश, 01 अवैध असलहा व 02 जिन्दा कारतूस के साथ बरामद कर 01 गौ-तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक सदर(IPS) व स्नेहा तिवारी क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल प्रजापति थाना बलुआ के नेतृत्व में आज दिनांक 10.10.2025 को उ0नि0 अमित सिंह व उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा मय हमराह के साथ क्षेत्र देखभाल संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के क्रम मे चहनियां चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर के द्वारा बताया गया कि एक पिकअप वाहन जिस पर गोवंशो को क्रूरता पुर्वक बांधकर बिहार ले जा रहा है और बलुआ तिराहे कि तरफ वाहन उपरोक्त आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बलुआ तिराहे पर चेकिंग के दौरान कुछ समय पश्चात बलुआ घाट की तरफ से एक पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहनों को रुकने का इशारा किया गया तो चालक व चालक की शीट के बगल बैठा व्यक्ति गाली देते गुए बोला कि मार दो पुलिस वालों और जान से मार डालने की नियत से गाड़ी को और तेज गति से बढ़ाया कि पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए वाहन की घेराबन्दी किया गया चालक के बगल की शीट पर बैठा व्यक्ति दरवाजा खोलकर फरार हो गया तथा चालक शीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उक्त पिकअप वाहन (बिना नम्बर) को चेक किया गया तो उक्त वाहन में क्रूरता पूर्वक बांधकर लादकर परिवहन किये जा रहे 13 राशि गोवंश बरामद हुआ। पकडे गये व्यक्ति की पहचान नाम सोनू पुत्र कमलेश निवासी सिसौड़ा थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र करीब 25 वर्ष के रुप में हुई जिसके कब्जें से 01 फोन, 370/रु0 नगद, अवैध असलहा-12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-259/25 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 109(2) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया कि मै तथा अपनें सहयोगियों के साथ घूम-घूमकर गाँवो से गोवंशो को खरीदकर एकत्र कर अपने वाहन पर लादकर बिहार में ले जाकर वध हेतु अच्छे दामों पर बेचते हैं। जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। जिसके पैसों से अपना विलासितापूर्ण जीवन व्यातीत करतें हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सोनू पुत्र कमलेश निवासी ग्राम सिसौरा थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0-259/25 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 109(2) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट

विवरण बरामदगी-

1.01 पिकअप बिना नम्बर प्लेट

2.13 राशि जिन्दा गोवंश

3.01 अवैध असलहा 12 बोर

4.02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

5.01 मोबाइल

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली

उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी मारूफपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

उ0नि0 राजेश सिंह चौकी प्रभारी कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी मोहरगंज थाना बलुआ जनपद चन्दौली

का0 शिशिर यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

का0 रोहित यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

का0 रमेश चौहान थाना बलुआ जनपद चन्दौली